न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2020 (पुराना उदयपुर) 6/23 (नया सलूम्बर) प्रार्थना पत्र रसद

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, सलूम्बर

..................**प्रार्थी**

बनाम

श्री गेबीलाल भोई पुत्र मावाजी भोई निवासी पुलिस थाने के पीछे ग्राम गींगला. तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर

....................**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्रः—अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक— 30-4-24

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर में प्रकरण संख्या 06/20 से दर्ज था जो कि नया जिला सलूम्बर का गठन होने पर न्यायालय जिला कलक्टर सलूम्बर में प्रकरण संख्या 6/23 से दर्ज हुआ। सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी सलूम्बर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.02.2020 को घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग एवं कालाबाजारी की सूचना पर मेरे द्वारा हमराह श्री गजसिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला के ग्राम गींगला चौराहे पर एक बेनाम भेलपुरी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण उसके प्रोपराईटर, श्री गेबीलाल भोई पुत्र मावाजी भोई की मौजुदगी में किया गया। मौके पर 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग भेलपुरी बनानें के व्यवसायिक कार्य में करना पाया गया इस संबन्ध में कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया।

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लघंन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेग्युलेटर, रबर ट्यूब के जब्त किये जाकर श्री शंकरलाल पटेल/गांगाजी पटेल, प्रतिनिधि मैसर्स श्री मेवाड भारत गैस सलूम्बर को सुपुर्दगी में दिया गया सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–:

क.स	सिलेण्डर नम्बर	ऑयल कम्पनी	कुल वनज	खाली सिलेण्डर	गैस का वजन
1	350829S	भारत गैस	20.600	15.500	5.100 कि.ग्र

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेग्युलेटर, रबर ट्यूब को राजसात करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 15.11.22 को प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब देकर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के विरूद्व श्रीमान् प्रवर्तन अधिकारी सलूम्बर उदयपुर ने इस न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जांच दल द्वारा दिनांक 07.02.2020 को नियमों की अवहेलना पाये जाने से मुझ प्रार्थी का अवैध माल–जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेगुलेटर, रबड ट्यूब मौके पर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ सलूम्बर (राज.) ★

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

सीज किया गया उक्त प्रकरण की पुनः पुनरावृति मुझ प्रार्थी द्वारा भविष्य में नही की जायेगी अब मैं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर से अपना धंधा चालु करना चाहता हूं और मुझ प्रार्थी की जब्तशुदा सामग्री को छुडाना चाहता हूं।

वक्त पेशी सरकार जरिये प्रार्थी जिला रसद अधिकारी सलूम्बर ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.02.2020 को घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं कालाबाजारी की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी सलूम्बर एवं थानाधिकारी गींगला ने ग्राम गींगला चौराहे पर भेलपुरी की दुकान से प्रोपराइटर श्री गेबीलाल भोई की मौजुदगी में जांच की गई जिसमें 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग भेलपुरी बनाने व्यवसायिक कार्य में करना पाया गया जिसके सम्बध में श्री गेबीलाल द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेगुलेटर, रबर ट्यूब को राजसात करने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि व्यावसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। विपक्षी का यह कृत्य (लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

3–1(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेग्युलेटर, रबर ट्यूब को राजसात(Confiscate) किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी सलूम्बर को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस चुल्हा, रेग्युलेटर, रबर ट्यूब को नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे। राजकोष में राशि जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रेषित करें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी सलूम्बर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर

सलूम्बर